

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी- विनोद कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या
306/2019
(RCMS 2019/00507)

दायर दिनांक
11.10.2019

निर्णय दिनांक
11.10.2019

अनवान

1. डालचंद पिता मोतीलाल जाट आयु वयस्क निवासी बिलोदा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. रामरतन पिता जीतमल जाट आयु वयस्क निवासी बिलोदा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. डालचंद रामरतन नारायणी देउबाई गीता कला पिता जीतमल जाट आयु वयस्क निवासी बिलोदा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थीगण**बनाम**

अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थी

--:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::--

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाटनिया पटवार हल्का शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 220 में अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 853, 854मी0, 855मी0 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की और से दिनांक 11.10.2019 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर किसी भी प्रकार का उज्र एतराज नहीं होना जाहिर किया। इस पर हाजिर प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजियात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व



अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को आदेश दिया जाता है कि मौजा पाटनिया पटवार हल्का शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 220 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 853, 854मी0, 855मी0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को 800/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक को 11.10.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/संस्था 5-08(306)2019/11.10.2019/

दिनांक 11 अक्टूबर, 2019

निमित्त,

तहसीलदार,
चित्तौड़गढ़

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. डालचंद पिता मोतीलाल जाट आयु वयस्क निवासी बिलोदा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
2. रामरतन पिता जीतमल जाट आयु वयस्क निवासी बिलोदा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
3. डालचंद रामरतन नारायणी देउबाई गीता कला पिता जीतमल जाट आयु वयस्क निवासी बिलोदा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थीगण**बनाम**

अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थी**प्रकरण संख्या :- 306/2019**
(RCMS 2019/00507)**-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थर गढ़ी ::-**

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 800/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **पाठनिया पटवार हल्का शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़** की जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 220 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 853, 854मी0, 855मी0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित किये जाये एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।



(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ़